

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर,
झांसी, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मऊ, मीरजापुर, संत कबीरनगर, सोनभद्र एवं उन्नाव।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 14 अप्रैल, 2016

विषय:- वर्ष 2015 में सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये भारत सरकार के मानक के अनुसार कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूखे से कृषि फसलों को हुई क्षति के लिये प्रथमतः लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु0 8,67,87,00,000/- (रुपये आठ सौ सड़सठ करोड़ सत्तासी लाख मात्र) निम्नलिखित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 स0	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	इलाहाबाद	568.00
2	अम्बेडकर नगर	2574.00
3	बलरामपुर	591.00
4	बांदा	4842.33
5	चित्रकूट	2529.05
6	देवरिया	12034.00
7	फतेहपुर	1456.00
8	गोरखपुर	10158.00
9	हमीरपुर	375.41
10	झांसी	3255.42
11	कुशीनगर	2788.00
12	ललितपुर	10329.48
13	महोबा	4440.68
14	मऊ	5992.00
15	मीरजापुर	2170.63
16	संत कबीरनगर	4233.00
17	सोनभद्र	4120.00

18	उत्पाद	14330.00
	कुल योग रु०	86787.00
	(रुपये आठ सौ सड़सठ करोड़ सत्तासी लाख मात्र)	

- 2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपादीय कोषागार से सीधे किसान/लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- 3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-05-नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।
- 5- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दर निर्धारित है तथा जो दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी की गयी है, का अवश्य अनुपालन किया जायेगा।
- 6- उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों के अनुसार ही किया जायेगा। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- 7- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।
- 8- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये व्यय का लेखा-जोखा रखना तथा पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
- 9- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20.06.2015 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी://राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।
- 10- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई व्यय/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2017 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

11- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

12- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या:-148 (1)/1-11-2016, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त को शासन के उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व 30प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ
- 9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Mohar
(मदन मोहन)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-20/04/2016

प्रेषण संख्या:- 2

आवंटन आदेश संख्या:- 002-33

अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

05 - नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	145600000 145600000	145600000 145600000
2	इलाहाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	56800000 56800000	56800000 56800000
3	झाँसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	325542000 325542000	325542000 325542000
4	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	37541000 37541000	37541000 37541000
5	बिदा -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	484233000 484233000	484233000 484233000
6	मिर्जापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	217063000 217063000	217063000 217063000
7	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1015800000 1015800000	1015800000 1015800000
8	देवरिया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1203400000 1203400000	1203400000 1203400000
9	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1433000000 1433000000	1433000000 1433000000
10	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1032948000 1032948000	1032948000 1032948000


 वरिष्ठ पित्त एवं लेखाधिकारी
 राहत आयुक्त संगठन
 उ०प्र० शासन

11	मऊ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	599200000 599200000	599200000 599200000
12	सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	412000000 412000000	412000000 412000000
13	महोबा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	444068000 444068000	444068000 444068000
14	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	278800000 278800000	278800000 278800000
15	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	257400000 257400000	257400000 257400000
16	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	591000000 591000000	591000000 591000000
17	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	423300000 423300000	423300000 423300000
18	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	252905000 252905000	252905000 252905000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8678700000 8678700000	8678700000 8678700000

महायोग- (वर्तमान
आवंटन):-

रुपया आठ अरब सरसठ करोड़ सत्तासी लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया आठ अरब सरसठ करोड़ सत्तासी लाख

(शिवराम)
(शिवराम)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन